

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर।

प्रकीर्ण वाद सं० 16/2026
ओंकार बनाम अमित राघव आदि।
थाना अरनियां, जिला बुलन्दशहर।

दिनांक:-16.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी ओंकार द्वारा विपक्षी अमित राघव आदि के विरुद्ध उक्त विविध वाद प्रस्तुत किया था। आज दिनांक 16.03.2026 को प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र पर नोट प्रेस का पृष्ठांकन किया है तथा उक्त वाद समाप्त किये जाने की याचना की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी उक्त वाद को आगे चलाने का इच्छुक नहीं है। अतः उक्त वाद बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का उक्त प्रकीर्ण वाद सं० 16/2026 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
जे.ओ.कोड- यू.पी.2345